बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
:– संकल्प :–

पटना, दिनांक–.....

श्रीमती मणिदीपा कुमारी, तत्कालीन DMC अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वीरपुर, सुपौल सम्प्रति व्यवसाय अनुदेशक, DMC, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मखदुमपुर, जहानाबाद द्वारा श्री प्रभाकर कुमार प्रभात, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वीरपुर, सुपौल के विरूद्ध मानसिक एवं लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित परिवाद उपलब्ध कराया गया। निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के कार्यालय आदेश सं0–171, दिनांक–27.01.2026 से गठित दो सदस्यीय जांच दल द्वारा जांच प्रतिवेदन पत्रांक–42, दिनांक–06.02.2026 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त जांच समिति, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित नही होने के कारण कार्यालय आदेश सं0–769 दिनांक–27.04.2026 से गठित आंतरिक परिवाद समिति/शिकायत निवारण समिति द्वारा जांचोपरांत जांच प्रतिवेदन पत्रांक–1076, दिनांक–23.06.02026 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जांच प्रतिवेदन के आलोक में पत्रांक–804, दिनांक–15.07.2026 द्वारा श्री प्रभात से मांग की गई स्पष्टीकरण का जवाब पत्रांक–454, दिनांक–01.09.2026 के द्वारा प्राप्त हुआ है।

3. जांच प्रतिवेदन, उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखो/कागजातो एवं श्री प्रभात से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री प्रभात द्वारा श्रीमती मणिदीपा के निजी जीवन में अपेक्षाकृत अधिक हस्तक्षेप मोबाईल एव व्हाट्सएप के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है।

(i) श्री प्रभात का आचरण वरिष्ठ पदाधिकारी से अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाया गया है एवं कार्यस्थल पर गरिमापुर्ण व्यवहार के अनुरूप भी नहीं है। यह सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(i) एवं (iii) के प्रतिकूल है।

(ii) श्री प्रभात द्वारा अपने ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे को होम ट्यूसन पढ़ाने के लिए श्रीमती मणिदीपा के ऊपर दबाव बनाया गया हैं।

(iii) श्री प्रभात, प्राचार्य के आदेश से श्रीमती मणिदीपा को रात्रि के समय आई०टी०आई० के प्रवेश द्वार पर रोक दिया गया जो जांच प्रतिवेदन, उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों/कागजातों के आधार पर अनुचित पाया गया है।

4. अतः श्री प्रभात से प्राप्त स्पष्टीकरण को सम्यक् समीक्षोपरांत अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के स्पष्टीकरण (3) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत श्री प्रभाकर कुमार प्रभात, प्राचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वीरपुर, सुपौल को चेतावनी संसूचित की जाती है, जिसकी प्रवृष्टि उनके चरित्र पुस्ति में की जायेगी।

(12)

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(आशुतोष कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–टी0–1/स्था0(04) राज0–40/2023 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– महानिदेशक, मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को मात्र अवलोकनार्थ।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–टी0–1/स्था0(04) राज0–40/2023 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए राजपत्र की प्रति युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–टी0–1/स्था0(04) राज0–40/2023 1487 पटना, दिनांक–15/10/2026

प्रतिलिपिः– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण), बिहार, पटना/श्री प्रभाकर कुमार प्रभात, प्राचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वीरपुर, सुपौल/श्रीमती मणिदीपा कुमारी, तत्कालीन DMC अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वीरपुर, सुपौल सम्प्रति व्यवसाय अनुदेशक, DMC, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मखदुमपुर, जहानाबाद/संयुक्त सचिव, प्रशाखा–11 (स्थापना शाखा), युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आशुतोष

15-10-26

सरकार के संयुक्त सचिव।